



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3815/अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक 16/07/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 16.07.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
3. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
8. डॉ. मीता झा	—	सदस्य
9. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

## कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.05.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	श्री कुलेश्वर महादेव शास. महा. गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	M.A.-III & IV Sem. Economics	50	2024-25
		M.Sc.- III & IV Sem. Chemistry	30	
		M.A.- III & IV Sem. Political Science	50	
		M.Com.- III & IV Sem.	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के प्रतिबंध के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला-गरियाबंद	P.G.D.C.A. Seat Extension	20	2012-13
		D.C.A. Seat Extension	20	
		B.A. Seat Extension	40	
		M.A. Geography New Course	20	
		M.A. History New Course	20	
निर्णय: महाविद्यालय से वर्तमान में कमरों की संख्या, प्रयोगशाला व नवीन विषय हेतु कमरों की उपलब्धता की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित कर आगामी बैठक में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महा. समता कालोनी, रायपुर	बी.ए. (आ.पा. अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) (नवीन विषय)	30	2024-25
		एम.ए. अंग्रेजी (नवीन विषय)	30	
		बी.बी.ए. (सीट वृद्धि)	30	
		बी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	30	
		बी.वॉक (फैशन डिजाइन) (नवीन विषय)	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के प्रतिबंध के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन, पो.आ. सेजबहार, जिला-रायपुर	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष	30	2024-25
		पी.जी.डी.सी.ए.	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के प्रतिबंध के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
v.	परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	B.Sc.Bio.- I Year- Botany, Zoology, Chemistry	60	2024-25
निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला- रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-2/2024/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 05.02.2024 के द्वारा सत्र 2024-25 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र के शर्त क्र. 02 के कंडिका 11 में उल्लेखित किया है कि छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना और विनियम) अधिनियम 2006 की अनुसार संस्था द्वारा 05 वर्ष के अंदर भूमि एवं भवन की व्यवस्था की जाए, असफल होने पर संस्था को दी गई अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी। उपर्युक्त शर्त व संस्था द्वारा दिए गए शपथ पत्र एवं निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विद्यापरिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित अनुशंसा की गई-				
(a) छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना और विनियम) अधिनियम 2006 के अनुसार संस्था द्वारा 05 वर्ष के अंदर भूमि एवं भवन की व्यवस्था की जाए। असफल होने पर संस्था को दी गई अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी।				
(b) निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक करने तथा इस प्रतिबंध के साथ बी.एस.सी. बायो. (सीट-60) की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vi.	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर, जिला-रायपुर	M.Sc.-III & IV Sem. Chemistry	20	2024-25
		M.A.-III & IV Sem. Geography	40	
		M.A.-III & IV Sem. Sociology	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के प्रतिबंध के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

03. विश्वविद्यालय के कला संकाय, विधि संकाय एवं इंफर्मेसन टेक्नालॉजी संकाय के संकायाध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप संकायाध्यक्ष के रिक्त स्थानों में नये संकायाध्यक्ष की नियुक्ति तक निवर्तमान संकायाध्यक्ष द्वारा अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

04. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला में एम.एस-सी. बायोटेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में 05 पेमेंट सीट वृद्धि सत्र 2024-25 से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

05. आई.क्यू.ए.सी. से प्राप्त निम्नलिखित विनियम के संबंध में विचार करना –

- (1) Research Promotion Policy for Faculties and Research Scholars of UTDs of PRSU
- (2) Professor of Practice in Pt. Ravishankar Shukla University [Based on National Education Policy 2020]
- (3) Policy Guidelines for Visiting Professor at Pt. Ravishankar Shukla University

निर्णय: आई.क्यू.ए.सी. से प्राप्त निम्नलिखित विनियम की अनुशंसा की गई –

- (1) **Regulation No. 212- Research Promotion Policy for Faculties and Research Scholars of UTDs of PRSU**
- (2) **Regulation No. 213- Professor of Practice in Pt. Ravishankar Shukla University [Based on National Education Policy 2020]**
- (3) **Regulation No. 214- Policy Guidelines for Visiting Professor at Pt. Ravishankar Shukla University**

06. CBS के विनियम क्रमांक 168 Autonomy to the Centre for Basic Sciences में संशोधन पर विचार करना।

निर्णय: CBS के विनियम क्रमांक 168 Autonomy to the Centre for Basic Sciences में निम्नानुसार संशोधन की अनुशंसा की गई –

**Regulation No. 168 - Page No. 01, Point No. 1 - Preamble: The Center for Basic Sciences (CBS) will offer five-year integrated PG programs in select areas of basic sciences, notably, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany and Zoology that will be amenable to 12th graders.**

07. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हेतु विषय समूह की सूची की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति दी गई।

08. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित जेनेरिक इलेक्टिव एवं वैल्यू एडिशन कोर्स के समूह (Pool of GE and VAC) की सूची की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

09. अध्यादेश क्रमांक 6 Examinations (General) की कंडिका क्रमांक 7(iii) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में Student Attendance की नियमावली के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्रमांक 6 Examinations (General) की कंडिका क्रमांक 7(iii) में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में शैक्षिक गुणवत्ता के सुनिश्चयन की दृष्टि से Student Attendance संबंधी प्रस्तुत नियमावली पर विचारोपरान्त उक्त नियमावली में आंशिक संशोधन के साथ अनुशंसा की गई। साथ ही अगले सत्र तक इस नियमावली के आधार पर अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 7(iii) की व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को समाहित करते हुए सक्षम विनियम निर्मित करने की भी अनुशंसा की गई।

10. श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जिला-जशपुर को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से असम्बद्ध करते हुए संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा से सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को तत्संबंध में अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

11. सत्र 2024-25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
2	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागांव जिला- रायपुर
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, वटगन जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
4	यशवंत राव मेघावले शासकीय महा., मगरलोड जिला- धमतरी
5	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महा., धरसीवा, जिला-रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाठा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
3	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
4	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
5	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
6	आदर्श महाविद्यालय, दतरंगा, रायपुर
7	आदर्श कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
8	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
9	नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला-गरियाबंद (सत्र 2022-23)
10	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
11	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर
12	श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
13	बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कामर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नवा रायपुर
14	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
15	श्री महंत लाल दास कला, विज्ञान एवं शिक्षा महाविद्यालय, दुन्द्र नगर जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
16	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)
17	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
18	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
19	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर (छ.ग.)

4

20	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)
21	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
22	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
23	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तिलईपाली, सरसीवा, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़
24	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नयापारा (राजिम)
25	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर
26	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, समता कालोनी, रायपुर

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. बी.बी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.कॉम. में प्रवेश के संबंध में विचार करना।

निर्णय: बी.बी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.कॉम. में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए शासन को अभिमत प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई -

(1) चूंकि छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के आदेश दिनांक 13.02.2019 के क्रम में "सहायक प्राध्यापक भर्ती" हेतु किसी विषय विशेष के स्नातकोत्तर उपाधिधारी को भी विज्ञापित किसी एक विषय में आवेदन करने हेतु उनके शैक्षणिक अर्हता को किसी अन्य विषय में सह-विषय (Allied Subject) के रूप में मान्य किया गया है। तदक्रम में वाणिज्य विषय के अंतर्गत सह-विषय (Allied Subject) के रूप में लेखांकन (Accountancy), प्रबंधन (Management), लेखा प्रबंधन (Account Management), एम.बी.ए. ह्यूमन रिसोर्स (M.B.A. Human Resource Management) को मान्य किया गया है।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुक्रम में Interdisciplinary विषय के रूप में बी.बी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.कॉम. में प्रवेश दिया जा सकता है।


(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की अनुशंसाओं के दृष्टिगत भी बी.बी.ए. उत्तीर्ण छात्रों को एम.कॉम. में प्रवेश प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित है।

02. इलेक्ट्रानिक्स, सेरीकल्चर एवं टसर टेक्नोलॉजी विषयों सेटअप/पदस्थापना की प्रत्याशा में कोर्स करिकुलम निर्मित कराकर आगामी सत्र 2025-26 से "बी.काम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम को विलोपित करते हुए इसमें स्वीकृत सीट संख्या को बी.कॉम. के लिये स्वीकृत सीट संख्या में सम्मिलित किये जाने की तथा इलेक्ट्रानिक्स, सेरीकल्चर एवं टसर टेक्नोलॉजी विषयों में स्वीकृत सीट संख्या को बी.एस.सी. गणित एवं बी.एस.सी जीव विज्ञान में सम्मिलित किये जाने" तथा सम्बद्धता आदेश में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विचार करना।


निर्णय: छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश पत्र क्र. एफ 3-36/2024/38-1 दिनांक 15.07.2024 को अंगीकृत कर बी.काम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम को विलोपित करते हुए इसमें स्वीकृत सीट संख्या को बी.कॉम. के लिये स्वीकृत सीट संख्या में सम्मिलित किये जाने की तथा इलेक्ट्रानिक्स, सेरीकल्चर एवं टसर टेक्नोलॉजी विषयों में स्वीकृत सीट संख्या को बी.एस.सी. गणित एवं बी.एस.सी जीव विज्ञान में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही उपरोक्तानुसार नवीन सीट संख्या अनुसार प्रवेश की अनुमति भी प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

03. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ-साथ समानान्तर रूप से डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/अध्ययन के संबंध में।

निर्णय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के आधार पर यू.जी.सी. द्वारा अप्रैल, 2022 में अधिसूचित "Guidelines for Pursuing to Academic Programmes Simultaneously" के अनुक्रम में नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत् छात्रों को नियमित आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रतिवर्ष के क्रम में किसी एक विषय में छः माह/एक वर्षीय, सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में इस प्रतिबंध के साथ समानान्तर रूप से अध्ययन की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है कि दोनों समानान्तर पाठ्यक्रम की अध्ययन समय-सारिणी पृथक-पृथक होनी चाहिए। तत्संबंध में प्रचलित अध्यादेश/विनियम में भी आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया स्थापित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक : 3816 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024

रायपुर, दिनांक 16 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)